न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 43 / 2017

उनवान

1. भागचन्द
2. रामदेव
3. श्रीकिशन पुत्रगण अनडा
4. रामलाल उर्फ रामकिशन पुत्रगण अनडा जाति जाट निवासी ग्म्रम (झबरकिया) लोहरवाडा, नसीराबाद

—— वादीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. प्रेम पत्नी दयाल जाति जाट निवासी ग्राम लोहरवाडा, नसीराबाद
2. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 2 जरिये राज0 पैरोकार, 1 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :—12/04/24

अधिवक्ता वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोहरवाडा की निम्न आराजी वादीगण की क्रयशुदा खातेदारी व कब्जे काश्त की है :—

वंर्किग खसरा नम्बर	रकबा	हाल खसरा नम्बर	रकबा
3976	17—0—0	699	2.57
		700 / 6362	0.19

वंर्किग खसरा नम्बर 3976 रकबा 17—0—0 तत्कालीन खातेदार सुरजमल पुत्र हरदेव व दयाल पुत्र सुगना की खातेदारी थी। जिनके द्वारा जरिये पंजीबद्व विक्रय पत्र दिनांक 12.01.16 को वंर्किग खसरा नम्बर 3976 रकबा 17—0—0 में से 14—18—00 आराजी वादीगण को बैचान कर कब्जा व दखल सुपुर्द कर दिया। बंदोबस्त विभाग ने उक्त आराजी को राजस्व अभिलेख में विक्रय पत्र अनुसार वादीगण के नाम दर्ज करने के बजाय हाल खसरा नम्बर 699 रकबा 2.57 व 700 / 6362 रकबा 0.19 को त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 के पति दयाल पुत्र सुगना के नाम दर्ज कर दिया। हाल राजस्व अभिलेख के त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण प्रतिवादी संख्या 1 आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेघाज्ञा पाबंद किया जावे।

——2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजुद तामीली प्रकरण में अनुपस्थित रहा। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निदेदन किया कि प्रकरण दो खातेदारों के मध्य का है जिससे राजहित प्रभावित नही होता है।

प्रकरण का कोई खण्डन नही होने के कारण तनकियात कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादीगण व राज0 पैरोकार ने प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया वाद पत्र में उपलब्ध दस्तावेज अनुसार ग्राम लोहरवाडा के वंर्किग खसरा नम्बर 3976 रकबा 17–0–0 की आराजी दयाल पुत्र सुगना के नाम खातेदारी दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 3976 रकबा 17–0–0 में से 14–18–00 आराजी तत्कालीन खातेदार सुरजमल पुत्र हरदेव व दयाल पुत्र सुगना ने वादीगण को जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र बैचान कर दी थी। वंर्किग जमाबंदी में उक्त आराजी विक्रेता दयाल पुत्र सुगना के नाम खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी के हाल खसरा नम्बर 699 रकबा 2.57 व 700/6362 रकबा 0.19 भी प्रतिवादी संख्या 1 के पति के नाम दर्ज है। वादी का कथन है कि विक्रेता दयाल पुत्र सुगना की मृत्यु हो गयी है। तथा आराजी मुतनाजा वादीगण के नाम दर्ज नही की गयी है। प्रतिवादी संख्या 1 प्रकरण मे उपस्थित नही है। राज0 पैरोकार ने भी वाद का खण्डन नही किया है। वादीगण द्वारा आराजी मुतनाजा जरियें पंजीबद्व विक्रय पत्र क्रय की है जिसकी सत्यता से इंकार नही किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 के प्रावधान अनुसार विक्रेता के खातेदारी अधिकारों का अवसान हो चुका है। आराजी मुतनाजा वादीगण की विधिक कयशुदा है। हाल इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्व होता है। वादीगण वंर्किग खसरा नम्बर 3976 रकबा 17–0–0 में से 14–18–0 आराजी पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है।

अतः ग्राम लोहरवाडा के वर्किंग खसरा नम्बर 3976 रकबा 17–0–0 में से 14–18–0 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर नम्बर 699 रकबा 2.57 व 700/6362 रकबा 0.19 में से 2.384 पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद मौके पर कब्जा स्थिति अनुसार वादीगण के नाम 2.384 रकबे की खातेदारी राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम दर्ज करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

भागचन्द बनाम प्रेम

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 43/2017
पेश करने की दिनांक – 18.03.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम लोहरवाडा के वर्किंग खसरा नम्बर 3976 रकबा 17–0–0 में से 14–18–0 की आराजी पर वादीगण का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम लोहरवाडा के हाल खसरा नम्बर नम्बर 699 रकबा 2.57 व 700/6362 रकबा 0.19 में से 2.384 पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद मौके पर कब्जा स्थिति अनुसार वादीगण के नाम 2.384 रकबे की खातेदारी राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम दर्ज करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— —— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 12 माह 05 सन् **2024** को जारी की गयी।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला अजमेर)

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिकें	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद